

न्यायालय:-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलरामपुर, स्थान-रामानुजगंज,
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

-:: **विविध आदेश** ::-

क्रमांक / / मु0न्या0मजि0 / 2025

रामानुजगंज,दिनांक-01.01.2025

मैं, डॉ0 सुमित कुमार सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलरामपुर, स्थान-रामानुजगंज जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.), माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर तथा माननीय सत्र न्यायाधीश, स्थान-रामानुजगंज जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के अधीन एवं नियंत्रण में रहते हुए दाण्डिक कार्यविभाजन के संबंध में पूर्व में जारी किये गये, समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-12 (1) एवं धारा-13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज में पदस्थ, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रामानुजगंज, बलरामपुर, राजपुर, एवं वाड्रफनगर के मध्य दाण्डिक प्रकरणों एवं कार्यों का विभाजन निम्नानुसार करता हूँ, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर, स्थान-रामानुजगंज (छ.ग.) के अनुमोदन के पश्चात् प्रभावशील होगा:-

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम एवं पद	आबंटित आरक्षी केन्द्र का नाम	कार्य एवं क्षेत्राधिकार का विवरण
01	02	03	04
01	डॉ0 सुमित कुमार सोनी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजस्व जिला- बलरामपुर- रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)	1. रामानुजगंज 2. सनावल	के क्षेत्राधिकार से उद्भूत/उत्पन्न होने वाले :- 1 दाण्डिक/परिवाद प्रकरण सहित समस्त आपराधिक मामले। 2 आबकारी विभाग से संबंधित आपराधिक मामले। 3 रामानुजगंज मुख्यालय से उत्पन्न क्षमा प्राप्त अभियुक्तों के मामले। 4. नगर पालिका रामानुजगंज द्वारा, छ.ग. नगर पालिका अधिनियम के तहत पेश सभी दाण्डिक मामले। 5. जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के अन्तर्गत उद्भूत/उत्पन्न, समस्त ऐसे विशेष अधिनियम, के तहत प्रस्तुत मामलों का निराकरण करना, जिनके विचारण की क्षेत्राधिकारिता, अनन्यतः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दी गई हो। 6 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित मामले, एवं भारतीय वन अधिनियम तथा वन अपराध से संबंधित अन्य मामले का निराकरण करना। 7. निगोशिएबल इन्ट्रूमेन्ट एक्ट के तहत प्रस्तुत परिवाद का निराकरण करना। 8. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 10 से संबंधित (धारा-144 से 147 भा0ना0सु0सं0 2023) मामलों का निराकरण करना। 9. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।

			<p>10. यातायात पुलिस द्वारा प्रस्तुत मामले।</p> <p>11. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट, मंडी अधिनियम के तहत, प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>12. धारा-34 (2) छ.ग. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के अन्तर्गत आने वाले समस्त थानों एवं आबकारी वृत्त से उद्भूत/उत्पन्न मामले।</p> <p>13 जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के अन्तर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत/उत्पन्न लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त मामले।</p> <p>14 खात्मा से संबंधित मामले।</p> <p>15 Pre-conception and pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 से संबंधित मामले।</p> <p>16 जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, के अन्तर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों के द्वारा प्रस्तुत खारिजी से संबंधित मामले।</p> <p>17 माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्र. -1576/तीन-6-6/2001, बिलासपुर, दिनांक-13.03.2007 के अनुसार राजस्व जिला बलरामपुर-रामानुजगंज से उत्पन्न :-</p> <p>(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (2) विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 (3) कम्पनी अधिनियम 1956 (4) धनकर अधिनियम 1957 (5) दानकर अधिनियम 1958 (6) आयकर अधिनियम 1961 (7) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (8) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (9) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम 1964 (10) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 एवं (11) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 एवं पर्यावरण, एवं प्रदुषण से संबंधित मामले।</p> <p>18 माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत, माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. व माननीय सत्र न्यायालय, बलरामपुर, स्थान-रामानुजगंज छ.ग. द्वारा समय-समय पर सौंपे गये समस्त मामलो/कार्यों का निराकरण करना।</p>
02	श्री शाश्वत दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, एवं किशोर न्याय बोर्ड, बलरामपुर	1 रामचन्द्रपुर 2. त्रिकुण्डा (त्रिकुण्डा के ग्राम-त्रिकुण्डा, नवाडीह, मरमा, डिण्डो, विमलापुर, बेलसर, सलवाही, पलगी,	के क्षेत्राधिकार से उद्भूत/उत्पन्न होने वाले :- 1. दाण्डिक/परिवाद सहित, समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। 2 आबकारी विभाग से संबंधित मामले। 3. निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट के तहत प्रस्तुत मामले। 4 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित मामले, एवं भारतीय वन अधिनियम तथा वन अपराध से संबंधित अन्य मामले का निराकरण करना।

	<p>स्थान रामानुजगंज जिला— बलरामपुर— रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)</p>	<p>गड़गोड़ी, धमनी, राधानगर, बेसुराखुर्द, चेरा, महादेवपुर एवं कुण्डपान से उत्पन्न अपराध)</p>	<p>5. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 10 से संबंधित (धारा-144 से 147 भा0ना0सु0सं0 2023) मामलों का निराकरण करना। 6. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। 7. यातायात पुलिस द्वारा प्रस्तुत मामले। 8. खात्मा से संबंधित मामले। 9. Pre-conception and pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 से संबंधित मामले। 10. माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये समस्त मामलों/कार्यों का निर्वहन करना।</p>
03	<p>श्री दीपक कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बलरामपुर, स्थान रामानुजगंज, जिला— बलरामपुर— रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)</p>	<p>1. बलरामपुर 2. पस्ता 3. चान्दो 4. चलगली के ग्राम— केरता, बसेराकला, मानिकपुर, गिरीवरगंज, कोतरकी, बरौली, कपिलदेवपुर, बेलकुदरी, मुर्का, रामपुर, सरस्वतीपुर, धनवार, शंकरपुर, लिफरी, रनहत, अमरपुर, गौरीपुर, चन्दौरा, लुरगीखुर्द, घुघरा, लुरगीकला, कर्चलगली, कपौत, चम्पापुर, फतेहपुर, चमनपुर, चउगई, बादा, पथरी, चितमा, भौरोपुर, एवं, कोदाकी से उत्पन्न अपराध)</p>	<p>के क्षेत्राधिकार से उद्भूत/उत्पन्न होने वाले :- 1. दाण्डिक/परिवाद सहित, समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। 2. आबकारी विभाग से संबंधित मामले। 3. निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट के तहत प्रस्तुत मामले। 4. वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित मामले, एवं भारतीय वन अधिनियम तथा वन अपराध से संबंधित अन्य मामले का निराकरण करना। 5. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 10 से संबंधित (धारा-144 से 147 भा0ना0सु0सं0 2023) मामलों का निराकरण करना। 6. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। 7. यातायात पुलिस द्वारा प्रस्तुत मामले। 8. खात्मा से संबंधित मामले। 9. Pre-conception and pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 से संबंधित मामले। 10. माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये समस्त मामलों/कार्यों का निर्वहन करना।</p>
04	<p>कु0 मंजूषा</p>	<p>1. रघुनाथ नगर</p>	<p>के क्षेत्राधिकार से उद्भूत/उत्पन्न होने वाले :-</p>

<p>टोप्पो न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, वाङ्गफनगर, जिला- बलरामपुर- रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)</p>	<p>2. चलगली (चलगली के ग्राम- कैलाशपुर, पनसरा, ढोढी, ओदारी, बुढ़ाडाड़, अलका, कछिया, ढड़िया, मड़हौली, भगवानपुर, बेलिया, बड़ खागाँव, शारदापुर, बरतीकला, बरतीखुर्द, परसडीहा, शिवरी, सावित्रीपुर, भलईझोर, सुरसा, अमडीहा, जमई, डोंगरा, पड़ौली, कड़िया, अमरावतीपुर, चलगली से उत्पन्न अपराध)</p> <p>3. बसंतपुर</p> <p>4. त्रिकुण्डा (थाना- त्रिकुण्डा के ग्राम चांदी, बराहनगर, विरेन्द्र नगर, शारदापुर, महुली, गोवर्धनपुर, सुरहर, सुलसुली एवं बैकुण्ठपुर) से उत्पन्न अपराध)</p>	<p>1. दाण्डिक/परिवाद सहित, समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>2 आबकारी विभाग से संबंधित मामले।</p> <p>3. निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट के तहत प्रस्तुत मामले।</p> <p>4 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित मामले, एवं भारतीय वन अधिनियम तथा वन अपराध से संबंधित अन्य मामले का निराकरण करना।</p> <p>5. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 10 से संबंधित (धारा-144 से 147 भा0ना0सु0सं0 2023) मामलो का निराकरण करना।</p> <p>6. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।</p> <p>7. यातायात पुलिस द्वारा प्रस्तुत मामले।</p> <p>8 खात्मा से संबंधित मामले।</p> <p>9 Pre-conception and pre-natal Daignostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 से संबंधित मामले।</p> <p>10 माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये समस्त मामलो/कार्यों का निर्वहन करना।</p>
<p>05 श्री आलोक कुमार पाण्डेय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजपुर जिला- बलरामपुर- रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)</p>	<p>1. राजपुर</p> <p>2. शंकरगढ़</p> <p>3. कुसमी</p> <p>4. सामरीपाठ</p> <p>5. करौंधा</p>	<p>के क्षेत्राधिकार से उद्भूत/उत्पन्न होने वाले :-</p> <p>1. दाण्डिक/परिवाद सहित, समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।</p> <p>2 आबकारी विभाग से संबंधित मामले।</p> <p>3. निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट के तहत प्रस्तुत मामले।</p> <p>4 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित मामले, एवं भारतीय वन अधिनियम तथा वन अपराध से संबंधित अन्य मामले का निराकरण करना।</p> <p>5. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 10 से संबंधित (धारा-144 से 147 भा0ना0सु0सं0 2023) मामलो</p>

			<p>का निराकरण करना।</p> <p>6. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।</p> <p>7. यातायात पुलिस द्वारा प्रस्तुत मामले।</p> <p>8. खात्मा से संबंधित मामले।</p> <p>9. Pre-conception and pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 से संबंधित मामले।</p> <p>10. माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे गये समस्त मामलो/कार्यों का निर्वहन करना।</p>
--	--	--	--

--: आवश्यक निर्देश :-

- 01 जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के समस्त क्षेत्रों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, को सूचित करते हुए चलित न्यायालय लगा सकेंगे।
- 02 रामानुजगंज, बलरामपुर, राजपुर, वाड्डफनगर में पदस्थ सभी अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट, के द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलरामपुर, स्थान-रामानुजगंज, से अनुमति लेकर एवं माननीय सत्र न्यायाधीश को सूचित करते हुए अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत चलित न्यायालय लगाया जा सकेगा।
- 03 धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट परिशिष्ट "ए" के अनुसार दर्ज करेंगे।
- 04 किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने शासकीय दौरे पर रहने मुख्यालय से बाहर रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर, या न्यायालय के रिक्त रहने पर, उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य व्यवस्था परिशिष्ट "बी" के अनुसार सम्पादित किया जावेगा।
- 05 ऐसे अन्य मामले जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में उल्लेख नहीं है, उसका निराकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलरामपुर, स्थान-रामानुजगंज जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, (छ.ग.) द्वारा किया जावेगा।
- 06 अन्य प्रकार के शंका की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों का निराकरण करेंगे और कोई भी मजिस्ट्रेट अवकाश या अन्य किसी कारण से कार्यरत न हो वहाँ परिशिष्ट "बी" के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।
- 07 यह दाण्डिक कार्य विभाजन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर, स्थान-रामानुजगंज (छ.ग.) द्वारा अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा।


 (डॉ.सुमित कुमार सोनी)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 बलरामपुर, स्थान-रामानुजगंज
 जिला बलरामपुर, रामानुजगंज (छ.ग.)

-:: परिशिष्ट "ए" ::-


धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियों, दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेटगण के नाम एवं थाना क्षेत्र

क्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	श्री शाश्वत दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रामानुजगंज जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज(छ.ग.)	1. रामानुजगंज 2. सनावल 1. रघुनाथ नगर 2. चलगली (चलगली के ग्राम- कैलाशपुर, पनसरा, ढोढ़ी, ओदारी, बुढ़ाडाड़, अलका, कछिया, ढड़िया, मड़हौली, भगवानपुर, बेलिया, बड़खागॉव, शारदापुर, बरतीकला, बरतीखुर्द, परसडीहा, शिवरी, सावित्रीपुर, भलईझोर, सुरसा, अमडीहा, जमई, डोंगरा,पड़ौली, कड़िया, अमरावतीपुर, चलगली से उत्पन्न अपराध) 3. बसंतपुर 4. त्रिकुण्डा (थाना- त्रिकुण्डा के ग्राम चांदी, बराहनगर, विरेन्द्र नगर, शारदापुर, महुली, गोवर्धनपुर, सुरहर, सुलसुली एवं बैकुण्ठपुर) से उत्पन्न अपराध) (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिसमें विधि से संघर्षरत किशोर जो किशोर न्याय बोर्ड बलरामपुर स्थान-रामानुजगंज से संबंधित है)
2	श्री दीपक कुमार शर्मा मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बलरामपुर, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्य यबोर्ड बलरामपुर स्थान रामानुजगंज जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज(छ.ग.)	1. राजपुर 2. शंकरगढ़ 3. कुसमी 4. सामरीपाठ 5. करौंधा 6. विधि से संघर्षरत किशोर जो किशोर न्याय बोर्ड बलरामपुर स्थान-रामानुजगंज से संबंधित है ऐसे प्रकरणों का जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के सभी थानों का कथन।
3	कु0 मंजूषा टोप्पो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वाङ्गफनगर, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज(छ.ग.)	1 रामचन्द्रपुर 2. त्रिकुण्डा (त्रिकुण्डा के ग्राम-त्रिकुण्डा, नवाडीह, मरमा, डिण्डो,विमलापुर, बेलसर, सलवाही, पलगी, गड़गोड़ी, धमनी, राधानगर, बेसुराखुर्द,चेरा, महादेवपुर एवं कुण्डपान से उत्पन्न अपराध)
4	श्री आलोक लुमार पाण्डेय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजपुर जिला- बलरामपुर- रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)	1. बलरामपुर 2. पस्ता 3. चान्दो 4. चलगली के ग्राम- केरता, बसेराकला, मानिकपुर, गिरीवरगंज, कोतरकी, बरौली, कपिलदेवपुर, बेलकुदरी, मुरका, रामपुर,

	सरस्वतीपुर, धनवार, शंकरपुर, लिफरी, रनहत, अमरपुर, गौरीपुर, चन्दौरा, लुरगीखुर्द, घुघरा, लुरगीकला, करीचलगली, कपौत, चम्पापुर, फतेहपुर, चमनपुर, चउगई, बादा, पथरी, चितमा, भौरोपुर, एवं, कोदाकी से उत्पन्न अपराध)
--	--

टीपः-1. धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रस्तुत होने वाले संस्वीकृति/कथन न्यायिक मजिस्ट्रेटगण आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जाने पर यथाशीघ्र विधिवत द0प्र0स0 के प्रावधानों के अंतर्गत अभिलिखित करेंगे एवं संबंधित न्यायालय को सीलबंद कर प्रेषित करेंगे और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे।

2. उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में होने की दशा में **प्रविष्टि बी** में अत्यावश्यक आपराधिक कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा (उन्हें आबंटित आरक्षी केन्द्र को छोड़कर) धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रस्तुत होने वाले संस्वीकृति/कथन लेखबद्ध किया जायेगा।


 (डॉ.सुमित कुमार सोनी)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 बलरामपुर, स्थान-रामानुजगंज
 जिला बलरामपुर, रामानुजगंज (छ.ग.)

--: परिशिष्ट "बी" :--

न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में होने की दशा में अत्यावश्यक आपराधिक कार्य निम्नानुसार मजिस्ट्रेटगणों के द्वारा संपादित किया जायेगा।

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम	न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम	न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम	न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम
	1	2	3	4
1	डॉ.सुमित कुमार सोनी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलरामपुर-रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)	श्री शाश्वत दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रामानुजगंज,	श्री दीपक कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बलरामपुर,	कु0 मंजूषा टोप्यो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वाड्डफनगर (छत्तीसगढ़)
2	श्री शाश्वत दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रामानुजगंज, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)	डॉ.सुमित कुमार सोनी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला- बलरामपुर (छत्तीसगढ़)	श्री दीपक कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बलरामपुर, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)	कु0 मंजूषा टोप्यो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वाड्डफनगर जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)

3	श्री दीपक कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बलरामपुर, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)	डॉ.सुमित कुमार सोनी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)	श्री शाश्वत दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रामानुजगंज, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज	कुं0 मंजूषा टोप्यो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,वाङ्गफनगर जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)
4	कुं0 मंजूषा टोप्यो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वाङ्गफनगर जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)	डॉ.सुमित कुमार सोनी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)	श्री शाश्वत दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रामानुजगंज, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)	श्री दीपक कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बलरामपुर, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)
5.	श्री आलोक कुमार पाण्डेय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजपुर जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)	श्री दीपक कुमार शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बलरामपुर, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)	डॉ.सुमित कुमार सोनी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)	श्री शाश्वत दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रामानुजगंज, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

--:आवश्यक निर्देश :-

- (1) अवकाश पर जाने के पूर्व प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रभार में रहने वाले परिशिष्ट "बी" के उत्तरवर्तीय मजिस्ट्रेट जो, उक्त अवकाश अवधि में कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे, को अवकाश की लिखित व मौखिक (टेलिफोन से या अन्यथा) सूचना अनिवार्यतः देंगे, इसमें जरा भी चूक नहीं करेंगे।
- (2) संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने की दशा में उनके थाना क्षेत्रों से उत्पन्न संक्षिप्त विचारण द्वारा निराकृत किये जा सकने योग्य प्रकरण उनके अवकाश में अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत पंजीबद्ध एवं निराकृत किये जा सकेंगे।
- (3) परिशिष्ट "बी" में दिये गये क्रमांक, निरंतरता में पढ़ा जावे।

अबु मोदिन
/ /
(हिमंत सराफ)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.)
01-01-2025

8/1/25
(डॉ.सुमित कुमार सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बलरामपुर, स्थान-रामानुजगंज
जिला बलरामपुर, रामानुजगंज (छ.ग.)

—: परिशिष्ट "सी" :—

एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा-52 (ए) से संबंधित पंचनामा कार्यवाही तैयार करने वाले मजिस्ट्रेटगण का नाम एवं थाना एवं पुलिस चौकी क्षेत्र।

क्रमांक	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	श्री शाश्वत दुबे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रामानुजगंज, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायबोर्ड बलरामपुर स्थान रामानुजगंज जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज(छ.ग.)	1. रामानुजगंज 2. सनावल 1. रघुनाथ नगर 2. चलगली (चलगली के ग्राम-कैलाशपुर, पनसरा, ढोढ़ी, ओदारी, बुढ़ाडाड़, अलका, कछिया, ढड़िया, मड़हौली, भगवानपुर, बेलिया, बड़खागॉव, शारदापुर, बरतीकला, बरतीखुर्द, परसडीहा, शिवरी, सावित्रीपुर, भलईझोर, सुरसा, अमडीहा, जमई, डोंगरा,पड़ौली, कड़िया, अमरावतीपुर, चलगली से उत्पन्न अपराध) 3. बसंतपुर 4. त्रिकुण्डा (थाना-त्रिकुण्डा के ग्राम चांदी, बराहनगर, विरेन्द्र नगर, शारदापुर, महुली, गोवर्धनपुर, सुरहर, सुलसुली एवं बैकुण्ठपुर) से उत्पन्न अपराध)
2	श्री दीपक कुमार शर्मा मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बलरामपुर, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज(छ.ग.)	1. राजपुर 2. शंकरगढ़ 3. कुसमी 4. सामरीपाठ 5. करौंधा
3	कु० मंजूषा टोप्पो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वाड़फनगर, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज(छ.ग.)	1 रामचन्द्रपुर 2. त्रिकुण्डा (त्रिकुण्डा के ग्राम-त्रिकुण्डा, नवाडीह, मरमा, डिण्डो,विमलापुर, बेलसर, सलवाही, पलगी, गड़गोड़ी, धमनी, राधानगर, बेसुराखुर्द,चेरा, महादेवपुर एवं कुण्डपान से उत्पन्न अपराध)
4	श्री आलोक कुमार पाण्डेय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजपुर जिला- बलरामपुर- रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)	1. बलरामपुर 2. पस्ता 3. चान्दो 4. चलगली के ग्राम-केरता, बसेराकला, मानिकपुर, गिरीवरगंज, कोतरकी, बरौली, कपिलदेवपुर, बेलकुदरी, मुरका, रामपुर, सरस्वतीपुर, धानवार, शंकरपुर, लिफरी, रनहत, अमरपुर, गौरीपुर, चन्दौरा, लुरगीखुर्द, घुघरा, लुरगीकला, कर्षीचलगली, कपौत, चम्पापुर, फतेहपुर, चमनपुर, चउगई, बादा, पथरी, चितमा,भौरोपुर, एवं, कोदाकी से उत्पन्न अपराध)

- टीप:- 1. एन.डी.पी.एस एक्ट के नवीन संशोधन के अनुसार एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा-52 (ए) से संबंधित पंचनामा कार्यवाही हेतु न्यायालय में पेश करने से एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा-52 (ए) के तहत पंचनामा तैयार करेंगे।
2. उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में होने की दशा में **प्रविष्टि बी** में अत्यावश्यक आपराधिक कार्य करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा (उन्हें आबंटित आरक्षी केन्द्र को छोड़कर) एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा-52 (ए) से संबंधित पंचनामा कार्यवाही किया जायेगा।

82/11/25
(डॉ.सुमित कुमार सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बलरामपुर, स्थान-रामानुजगंज
जिला-बलरामपुर, रामानुजगंज (छ.ग.)

प्रतिलिपि :-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर, स्थान-रामानुजगंज (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. माननीय अपर सत्र न्यायाधीश स्थान रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
4. माननीय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फॉस्ट ट्रेक कोर्ट विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
5. अध्यक्ष, किशोर न्याय बोर्ड, बलरामपुर स्थान-रामानुजगंज को प्रेषित।
6. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रामानुजगंज/वाङ्गफनगर/बलरामपुर/राजपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)।
8. पुलिस अधीक्षक, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज को इस अनुरोध के साथ सूचनार्थ कि, आप अपने अधीनस्थ समस्त थाना-प्रभारियों को आदेश की प्रतिलिपि के साथ सूचित करें, एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।
9. जिला अभियोजन अधिकारी जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. जिला आबकारी अधिकारी, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. वन मण्डलाधिकारी, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. अध्यक्ष/सचिव अधिवक्ता संघ, रामानुजगंज/बलरामपुर/वाङ्गफनगर/राजपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

80/11/25
(डॉ.सुमित कुमार सोनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बलरामपुर, स्थान-रामानुजगंज
जिला बलरामपुर, रामानुजगंज (छ.ग.)